

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-१, बरेली।

प्रकीर्ण वाद सं० / 2019

राजेश कुमार बनाम

सोनिया उर्फ शांति राना

धारा 340 दं० प्र० सं०

थाना- बारादरी, बरेली

दिनांक:- 09.02.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित।

आवेदक कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र आवेदक की अनुपस्थित के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र आवेदक की अनुपस्थिति में प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-१, बरेली।